जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स सर्वोत्तम माइन्स, रेफरेन्स नम्बर 20231000074931, एम.एल. नम्बर 06/2023, क्षेत्रफल 3.5992 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,77,900 टी.पी.ए (रोम), खसरा नं. 203/76 व 204/76, निकट ग्राम–चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 21.7615 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–16,96,960 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, गाँव–खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **02.04.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स सर्वोत्तम माइन्स	20231000074931, 06/2023	3.5992 हैक्टेयर	3,77,900 टी.पी.ए (रोम)
2	मैसर्स श्री मेघाराम गोदारा पुत्र श्री उमाराम गोदारा	20221000060166, 26/2022	3.9483 हैक्टेयर	4,06,500 टी.पी.ए (रोम)
3	मैसर्स एपेक्स माइन्स एण्ड मिनरल्स,	51/2020	3.9897 हैक्टेयर	2,98,393 टी.पी.ए (रोम)
4	मैसर्स श्रीमति सन्तोष गोदारा पत्नी श्री अशोक कुमार लेघा	13/2018	3.5053 हैक्टेयर	2,33,750 टी.पी.ए (रोम)
5	मैसर्स श्री पवन कुमार डागा पुत्र श्री छगनलाल डागा	14/2018	2.7285 हैक्टेयर	1,90,292 टी.पी.ए (रोम)
6	मैसर्स श्री कुशल राज सिंह	25/2020	3.9905 हैक्टेयर	1,90,125 टी.पी.ए (रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 22.02.2025 को समाचार पत्र 'इ इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स सर्वोत्तम माइन्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एनवायरोटेक"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एनवायरोटेक"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना, खसरा नं. 203/76 व 204/76, निकट ग्राम–चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्रम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **रेफरेन्स नम्बर 20231000074931, एम. एल. नम्बर 06/2023**, कुल खनन क्षेत्रफल **3.5992** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **3,77,900** टी.पी.ए. (रोम) {**कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 21.7615 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–16,96,960 टी.पी.ए.(रोम)**} होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

सर्वप्रथम श्री अणदाराम ओड, निवासी खारी चारनान द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि पूर्व में स्थापित खनन ईकाईयों द्वारा नियमों की पालना नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में आयोजित जनसुनवाईयों में भी शिकायत किये जाने के उपरान्त भी प्रशासन द्वारा खनन ईकाईयों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। खनन ईकाईयों द्वारा गहरे–गहरे गड्ढे खोदे गये है जिनकी तारबंदी न होने से पशु हादसे का शिकार हो रहे है।

श्री गुमानाराम कुमावत, निवासी खारी चारनान द्वारा आक्षेप लगाया गया कि खनन मालिक बाहर से आकर गाँव में केवल खनन कार्य किया जाता है उनके द्वारा गाँव के विकास, शिक्षा एवं गोशाला में सहयोग नहीं दिया जाता है और न ही नियमों की पालना की जाती है।

श्री अणदाराम ओड, निवासी खारी चारनान द्वारा पुनः आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में स्थापित किसी भी खनन ईकाई में पौधारोपण नहीं किया गया है एवं पौधारोपण के नाम पर केवल खानापूर्ति कर दी जाती है।

श्री कैलाश चन्द, निवासी खारी चारनान द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि वर्षाकाल में खनन ईकाई के खुले गड्ढे में गाय 3 दिवस तक कीचड़ में फंसी रही लेकिन खनन मालिक द्वारा उस गाय को खड्ढे में से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा आक्षेप लगाया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु ग्रामवासियों को सूचित नहीं किया गया है जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई से 2 दिवस पूर्व गाँव में लाउडस्पीकर के माध्यम से जनसुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी घोषणा करवाई गई थी।

गुमानाराम कुमावत, निवासी खारी चारनान द्वारा पुनः आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में स्थापित खनन ईकाईयों द्वारा गड्ढों की तारबंदी न होने से पशु उनमें गिर कर मर रहे है। इस सम्बन्ध में शिकायत किये जाने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को बताया गया कि खनन ईकाईयों के कारण जनहानि, पशुहानि न हो इस हेतु तहसीलदार एवं खनि अभियन्ता को हादसा हो सकने वाली खनन ईकाईयों को चिन्हित कर 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि उक्त जनसुनवाई खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की गई है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण से सम्बन्धित आक्षेप/आपत्ति/सुझाव दर्ज करना उचित होगा तथापि प्रशासन द्वारा ग्रामवासियों की सभी समस्याओं के निराकरण हेतु भरसक प्रयास किये जायेगें। खनन ईकाईयों में सुरक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही खनन विभाग

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ मिल कर खनन ईकाईयों के निरीक्षण हेतु अभियान चलाये जाते है। आगामी अभियान में भी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में प्राप्त हुई शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जायेगी।

गुमानाराम कुमावत, निवासी खारी चारनान द्वारा आक्षेप लगाया गया कि कुछ समय पूर्व गाय के खड्डे में गिर जाने पर खनन ईकाई के कर्मचारियों द्वारा उसे गड्ढे से निकाल कर सड़क के किनारे लावारिस फैंक कर चले गये। गुमानाराम कुमावत द्वारा कहा गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिये खनन ईकाई की तारबंदी करवायी जानी चाहिये। साथ ही गुमानाराम कुमावत द्वारा गाँव के विकास एवं गाँव के बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग नहीं किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित खनन ईकाई के प्रतिनिधि को निर्देशित करते हुए ग्रामवासियों को बताया गया कि खनन ईकाईयों द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार ही खनन कार्य किया जाना चाहिये। खनन ईकाईयों द्वारा स्थानीय निवासियों से प्राप्त आक्षेप/आपत्ति/सुझावों पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिये। खनन ईकाईयों द्वारा स्थानीय निवासियों की समस्याओं का पूर्ण समाधान किया जाये जिससे ग्रामवासियों एवं खनन ईकाईयों के मध्य सामंजस्य स्थापित होगा।

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को आश्वास्त किया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत की गई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति को सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अन्य आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को पुनः निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया कि सरकार द्वारा जनसुनवाई आयोजित करने का मूल उद्देश्य गाँव में आने वाले नये उद्योगों/परियोजनाओं के बारे में स्थानीय ग्रामवासियों को जागरूक करना है जिससे कि उक्त परियोजनाओं से ग्रामवासियों को होने वाले लाभ अथवा हानि का उचित आंकलन किया जा सके। जनसुनवाई का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु जनसुनवाई की जानकारी अखबारों के माध्यम से एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनसमूह से ग्रामवासियों की सभी समस्याओं का उचित निराकरण करने हेतु आश्वासन प्रदान किया गया एवं ग्रामवासियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अन्य आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत, जिला–बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा आक्षेप/आपत्ति दर्ज करवाने वाले ग्रामवासियों को उपस्थिति पत्र में हस्ताक्षर करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु कुछ ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया गया।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म. बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स सर्वोत्तम माइन्स, रेफरेन्स नम्बर 20231000074931, एम.एल. नम्बर 06/2023, क्षेत्रफल 3.5992 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,77,900 टी.पी.ए (रोम), खसरा नं. 203/76 व 204/76, निकट ग्राम–चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स सर्वोत्तम माइन्स, रेफरेन्स नम्बर 20231000074931, एम.एल. नम्बर 06/2023, क्षेत्रफल 3.5992 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,77,900 टी.पी.ए (रोम); श्री मेघाराम गोदारा पुत्र श्री उमाराम गोदारा, रेफरेन्स नम्बर 20221000060166, एम.एल. नम्बर 26/2022, क्षेत्रफल 3.9483 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,06,500 टी.पी.ए. (रोम); ; मैसर्स एपेक्स माइन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 51/2020, क्षेत्रफल 3.9897 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,98,393 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्रीमति सन्तोष गोदारा पत्नी श्री अशोक कुमार लेघा, एम.एल. नम्बर 13/2018, क्षेत्रफल 3.5053 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,33,750 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री पवन कुमार डागा पुत्र श्री छगनलाल डागा, एम.एल. नम्बर 14/2018, क्षेत्रफल 2.7285 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,90,292 टी.पी.ए (रोम) एवं मैसर्स श्री कुशल राज सिंह, एम.एल. नम्बर 25/2020, क्षेत्रफल 3.9905 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,90,125 टी.पी.ए (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 21.7615 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–16,96,960 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है, में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.04.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, गाँव–खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–02.04.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kr Nayak	SDO, Kolayat	[signature]
2.	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB Bikaner	[signature]
3.	हितेन्द्र शर्मा	तहसीलदार	हितेन्द्र शर्मा
4.	रामकिशन	5.5.5 मा शिवासर चोगान	रामकिशन
5.	अशोककुमार	खारी चारनान	अशोक
6.	[illegible]	Khari Charan	[signature]
7.	कैलाश चन्द	खारी चारनान	कैलाश चन्द
8.	नाथूराम	गंगापुरा	नाथूराम

9.	गजराजशर्मा	बिकानेर	गजराज
10.	[illegible]	राजसमन्द	[illegible]
11.	भरत	खाजूवाला	Bharat
12.	चरणसिंह	रवन्ना मालिक	[signature]
13.	मेघारामगोदारा	~~रवन्ना मालिक~~ यूनि राजस्थान	[signature]
14.	रुकमनाराम	APM खनिज	[signature]
15.	Rakesh Kumar	Universal Envirotech Jaipur	[signature]
16.	Arvind Vaishnav	Universal Envirotech Jaipur	[signature]
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			